**अपील / एलआर / 5592 / 2002 / बीकानेर**
**रामेश्वर दास बनाम सरकार**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए |
|---|---|---|
| 13–2–2025 | **एकल–पीठ**<br>**श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य**<br><br>**उपस्थित :**<br>श्री के.के.पुरपोहित, अभिभाषक अपीलार्थी ।<br>श्री एस.पी.सिंह, अभिभाषक रेस्पोडेंट सं.2<br>श्री शिवप्रकाश चौधरी, उप राजकीय अभिभाषक<br><br>**आदेश**<br><br>1. हस्तगत् अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–76 सपठित धारा 5 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20–9–02 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।<br><br>2. निगरानी प्रार्थना पत्र अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अपीलार्थी के रकबे में से उपखंड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर ने अपने आदेश दिनांक 10–10–01 द्वारा गैर मुमकिन रास्ता कायम करते हुये अपीलांट के खाते मे से रकबा कम कर दिया। जिसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के यहां प्रस्तुत की गई। राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर ने प्रस्तुत अपील आदेश दिनांक 20–9–02 द्वारा खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।<br><br>3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि उपखंड अधिकारी ने अपीलांट को न तो नोटिस दिया और न ही सुनवाई का समुचित अवसर दिया। कानून के अनुसार खातेदार की भूमि पर राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के अंतर्गत बनी जनरल कॉलोनी कंडीशन 1955 की कंडीशन सं.8 के तहत उपखंड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर को कोई अधिकार अपीलांट की भूमि मे से रास्ता निकालने का नहीं था। इसी मुरब्बे के किला नंबर 21 ता 25 में रास्ता स्वीकृत है जो मौजूदा रिकार्ड में चालू है। एक ही खेत में एक रास्ता होते हुये भी दूसरे रास्ते की मंजूरीदेना सरासर गलत एवं गैर कानूनी है। ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड करना चाहिये था। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिया गया था परंतु फैसला जनरल कॉलोनी कंडीशन 1955 के तहत दिया गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त समस्त तथ्यों को नजरअदांज कर निर्णय पारित किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जावे। | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 4. अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये अभिकथन किया कि ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर उपखंड अधिकारी ने रास्ता कायम किया है। यह एक जनहित का मामला है और इसमें गांव के मुरब्बों के व्यक्तियों को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने के लिये रास्ते की आवश्यकता थी। चकप्लान में भी रास्ता दर्शाया गया है तथा इसको राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15एएए(3) के तहत खातेदारी मिली है और इस धारा में दी गई खातेदारी 1955 के बाद की है। जबकि राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 इससे पूर्व से ही लागू है और राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम लागू होने से पहले की खातेदारी होती तो यह माना जा सकता था। कॉलोनी एरिया में प्रथमतः कॉलोनी नियम लागू होंगे। किंतु जहां किसानों की सुविधा के लिये राज्य सरकार के द्वारा एक सुविधा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15एएए के तहत प्रदान की गई है। उपखंड अधिकारी को रास्ता कायम करने का अधिकार है। दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है और अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे।<br><br>5— उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया ।<br><br>6— पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा उपखंड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर के समक्ष रास्ता स्वीकृत करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखंड अधिकारी द्वारा तहसीलदार से रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि एमकेएम के समस्त चकों में रास्ते चकों के अंतिम छोर तक नहीं काटे गये है। अंतिम मुरब्बों से एक मुरब्बा पहले के किला नंबर 5, 25 1, 21 में काटे गये है जिससे काश्तकार अंतिम मुरब्बों व कपूरीसर व मलकीसर की बारानी भूमि में नहीं जा सकते है। मुताबिक रिकार्ड यह समस्या सभी चकों में है। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये जनहित में तहसील रिकार्ड व ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर उपरोक्त मुरब्बों में से नया रास्ता काटा गया। रास्ते का अधिकार एक सुखाधिकार होता है। अपीलीय न्यायालय ने रास्ते का जनहित में मानते हुये निरस्त नहीं किया किंतु अपीलांट की खातेदारी भूमि जितनी रास्ते में आई है उस भूमि की कीमत अपीलांट को दिये जाने एवं दी जाने वाली राशि का समायोजन उससे वसूल की जाने वाली किश्तों में कमी करके किये जाने का आदेश दिया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आलोच्य आदेश में विधि अथवा तथ्य सम्बन्धी ऐसी कोई तात्विक त्रुटि कारित नहीं की गई है जिसके आधार पर अपील के माध्यम से आलोच्य आदेशों में हस्तक्षेप किया जा सके। हस्तगत प्रकरण में | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए |
|---|---|---|
| | अपीलांट द्वारा अपने अपील ज्ञापन में अथवा दौराने बहस ऐसा कोई बिन्दु नहीं उठाया है जिससे यह स्पष्ट हो कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में किसी प्रकार की त्रुटि कारित की गई हो। ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य हैं।<br><br>7— परिणामतः हस्तगत अपील एतद्द्वारा खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।<br><br>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>(मदनलाल नेहरा)<br>सदस्य | |